ईश्वर सिंह बनाम शक्ति सिंह वगैरह

10.11.23 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 01.11.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सावर द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर केवल रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत ही आदेश पारित किया। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सावर अभी चुनाव कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रकरण में अंतिम रूप से सुनवाई नही हो पा रही है। जिसकी आड में अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त आराजी के विशेष भू–भाग पर पक्का निर्माण कर रहा है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने कृत्य में सफल हो गया तो प्रार्थी का वाद प्रस्तुती का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा व प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर आवागमन से महरूम हो जायेगा व प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर आवागमन से महरूम होना पडेगा। इसलिए प्रार्थी अपने विधिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उक्त अपील अधिवक्ता महोदय द्वारा दी गयी कानूनी सलाह के आधार पर अन्दर अवधि सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी के विधिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मियाद बिन्दु पर नमर रूख अपनाते हुए उक्त अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुतीकरण मे हुई उक्त सदभाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार करते हुए गुणावगुण पर निर्णित करने का आदेश प्रदान करावें।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है जिसका आज दिनांक तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। वादग्रस्त आराजी को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 बिना बंटवारा कराये विशेष भू–भाग पर पक्का निर्माण कार्य करवाने पर उतारू है जिसमे यदि वे सफल हो गए तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति नही की जा सकेगी एवं प्रार्थी द्वारा वाद एवं अपील प्रस्तुती का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजीयात के किसी विशेष भू–भाग पर पक्का निर्माण कार्य नहीं करें तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.7.2023 की आड में अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी के विशेष भू भाग पर पक्का निर्माण कर रहा है उपखण्ड अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त है। जिस वजह से अपीलांट को राहत नहीं मिल रही है अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जावे।

अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.7.2023 से विवादित खसरा नम्बर 147, 376, 377 खाता संख्या 505 नया ग्राम पीपलाज बाबत अपीलांट के 212 के प्रार्थना पत्र पर अंतरिम रूप से स्वीकार करते हुए राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बाबत आदेश दिया गया है। मगर रेस्पोडेंट 1 द्वारा बिना बंटवारे निर्माण किया जा रहा है जबकि आराजी सामलात है उक्त प्रार्थना पत्र इस बाबत दिनांक 25.10.2023 को एसएचओ सावर को अपीलांट द्वारा दिया जाना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा निर्माण रूकवाने बाबत प्रयास किया गया है। विवाद संपत्ति संबंधित है अतः न्यायालय अपील को गुणावगुण पर निर्णय करना चाहेगा। अपीलांट द्वारा दिनांक 1.11.2023 को अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

वकील अपीलांट के आग्रह पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने मुख्य रूप से यह बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा खसरा नम्बर 377 में निर्माण कार्य किया जा रहा है जिससे उनके आनेजाने का रास्ता बंद हो रहा है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया । अपीलांट व रेस्पोडेंट सहखातेदार है ऐसी स्थिति में बिना बंटवारे रेस्पोडेंट का यह अधिकार

10.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
डीडवाना

2023/225 ईश्वर सिंह V/S शम्भु सिंह

10/11 नहीं है कि वह शामिल ,खाते में किसी विशेष हिस्से पर निर्माण कार्य करवा सके क्योंकि सहखातेदारी में प्रत्येक इंच भूमि पर सभी सहखातेदारों का अधिकार माना जाता है ऐसी स्थिति में न्यायालय यह उचित समझता है कि मौके की यथास्थिति अंतरिम रूप से बनाई रखी जाए अन्यथा अपीलांट के अपील लाने का कोई मकसद शेष नहीं रह पाएगा। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन आदेश अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाता है। रेस्पोडेंट को पाबंद किया जाता है कि वे कोई निर्माण कार्य जारी नहीं रखे। अधीनस्थ न्यायालय आगामी दो माह में बहुपक्ष को सुनकर विधिपूर्वक उक्त लंबित प्रार्थना पत्र का निस्तारण दो माह की अवधि में आवश्यक रूप से करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

10.11.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner